महत्वपूर्ण

संख्या–979 /नौ–9–21–130ज/2020

प्रेषक,

अनिल कुमार–III,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त, जिलाधिकारी, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ दिनांक 16 अप्रैल, 2021**

विषय–कोविड–19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0–1426/नौ–9–20–130ज/20, दिनांक–19.08.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संदर्भित शासनादेश के माध्यम से कोविड–19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग की धनराशि से रू0 149.50 करोड़ जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से जनपदों को उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किये गये है। तदक्रम में निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय के पत्र सं0–8/3038/317/पंचम रा0वि0 आयोग/2020–21, दिनांक–23.10.2020 द्वारा रू0 149.50 करोड़ की धनराशि नगरीय स्थानीय निकायों के खाते में अंतरित कर दी गयी है।

2. उक्त उपलब्ध करायी गयी धनराशि से व्यय की गयी धनराशि की समीक्षा में यह स्थिति संज्ञान में आयी है कि अधिकांश जनपदों में उक्त धनराशि का व्यय अनुमन्य कार्यों पर नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी प्रश्नगत धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निर्णय लेने के लिये निम्नलिखित समिति अधिकृत की गयी है:–

क्रम सं0	पदनाम	भूमिका
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	प्रभारी अधिकारी/स्थानीय निकाय अथवा जनपद में नगर निगम होने की दशा में नगर आयुक्त	सदस्य
4	मुख्य कोषाधिकारी	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

प्रश्नगत धनराशि से निम्न कार्य अनुमन्य किये गये है :–

(i) आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेना जिससे सर्विलांस, सैम्पलिंग एवं आर0आर0टी0 गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चलती रहें। ए–श्रेणी के जनपद अधिकतम 15 वाहन तथा बी–श्रेणी के जनपद अधिकतम 10 वाहन किराये पर ले सकेंगे।

(ii) आवश्कतानुसार मानव संसाधन/जनशक्ति यथा–डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन एवं स्वीपर संविदा पर रखे जा सकेंगे।

(iii) इस धनराशि से कमी पड़ने पर तात्कालिकता के आधार पर कन्ज्यूमेबल्स भी लिये जा सकेंगे।

3. प्रकरण में संदर्भित शासनादेश दिनांक–19.08.2020 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इस कार्य हेतु लगाये जाने वाले स्टाफ, वाहन आदि की संख्या व अवधि के विषय में आवश्यक पैरामेडिकल, लैब टेक्नीशियन (एल0टी0) प्रयोगशाला सहायक (एल0ए0) आदि का वॉक–इन–साक्षात्कार लेकर तैनात करने हेतु उपरोक्त समिति सक्षम होगी। उक्त समिति कोविड–19 के नियंत्रण व उपचार के लिये किसी ऐसे कार्य जिसे किया जाना वह आवश्यक समझती है, किन्तु इस कार्य के लिये सामान्य बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं है तो समिति इस धनराशि से उक्त कार्य करने का निर्णय ले सकती है। इसमें पैरा मेडिकल, स्वीपर, एल0टी0, एल0ए0 की संख्या अथवा तैनाती के विषय में शासन/निदेशालय स्तर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, समिति इसके लिये पूर्णतः सक्षम होगी।

4. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपदों को उपलब्ध करायी गयी प्रश्नगत धनराशि का उपयोग निर्धारित कार्यों पर, विहित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। नगरीय स्थानीय निकायों के राज्य वित्त आयोग के खाते में अप्रयुक्त पड़ी इस मद की धनराशि आवश्यकतानुसार जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में हस्तान्तरित कर व्यय की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार–III)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन/राहत आयुक्त, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से भी जिलाधिकारीगण को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के॰पी॰ सिंह)
अनु सचिव

संख्या–1426/नौ–9–20–130ज/2020

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. **निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय,** उ0प्र0 लखनऊ।
2. **समस्त, जिलाधिकारी,** उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 **लखनऊ दिनांक 19 अगस्त, 2020**

विषय–कोविड–19 महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य वित्त आयोग से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 एवं उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 में प्राविधानित व्यवस्था के आलोक में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं।

2. कोविड–19 की रोकथाम व आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के संबंध में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्त विभाग के शासनादेश सं0–28/2020–बी0–2–157/दस–2020–1/2019, दिनांक–31.07.2020 द्वारा प्राप्त रू0 775.00 करोड़ की धनराशि में से कुल रू0 149.50 करोड़ की धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों के माध्यम से जनपदों को उपलब्ध कराया जाना है। जनपदों को उनके आकार तथा कोविड–19 संक्रमण के मामलों के आधार पर 02 श्रेणियों क्रमशः ए एवं ब में विभाजित किया गया है। ए–श्रेणी के जनपदों को 2.50 करोड़ रूपयें एवं बी–श्रेणी के जनपदों को 1.50 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। (श्रेणी–ए एवं श्रेणी–बी के जनपदों की सूची संलग्न है।)

3. चिकित्सा अनुभाग–9 के शासनादेश सं0–80/पांच/9–14–9(56)/13, दिनांक–15.01.2014 द्वारा जिला स्वास्थ्य सोसाइटी का गठन किया गया है। राज्य वित्त आयोग की धनराशि राज्य स्तर से सीधें जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में उपलब्ध करायी जायेगी। कोविड–19 का प्रबंधन शासकीय संस्थाओं/चिकित्सालयों में पूर्ण दक्षता से सुचारू रूप से सम्पन्न हो, इसके लिये जनपद स्तरीय समिति जिसका विवरण निम्नवत् है, राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के उपभोग करने के संबंध में निर्णय लेने के लिये अधिकृत होगी :–

क्रम सं0	पदनाम	भूमिका
1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3	प्रभारी अधिकारी/स्थानीय निकाय अथवा जनपद में नगर निगम होने की दशा में नगर आयुक्त	सदस्य
4	मुख्य कोषाधिकारी	सदस्य
5	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव

<u>इस धनराशि से निम्न कार्य अनुमन्य होगें:–</u>

(i) आवश्यकतानुसार वाहन किराये पर लेना जिससे सर्विलांस, सैम्पलिंग एवं आर0आर0टी0 गतिविधिया निर्वाध रूप से चलती रहे। ए–श्रेणी के जनपद अधिकतम 15 वाहन तथा बी–श्रेणी के जनपद अधिकतम 10 वाहन किराये पर ले सकेगे।

(ii) आवश्कतानुसार मानव संसाधन/जनशक्ति यथा–डाक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ नर्स, लैब टेकनीशियन एवं स्वीपर संविदा पर रखे जा सकेगे।

(iii) इस धनराशि से कमी पडने पर तात्कालिकता के आधार पर कन्ज्यूमेबल्स भी लिये जा सकेगे।

4. इस कार्य हेतु लगाये जाने वाले स्टाफ, वाहन आदि की संख्या व अवधि के विषय में आवश्यक पैरा मेडिकल, लैब टेक्नीशियन (एल0टी0) प्रयोगशाला सहायक (एल0ए0) आदि का वॉक–इन–साक्षात्कार लेकर तैनात करने हेतु उपरोक्त समिति सक्षम होगी। उक्त समिति कोविड–19 के नियंत्रण व उपचार के लिये किसी ऐसे कार्य जिसे किया जाना व आवश्यक समझती है, किन्तु इस कार्य के लिये सामान्य बजट में धनराशि उपलब्ध नहीं है तो समिति इस धनराशि से उक्त कार्य करने का निर्णय ले सकती है। इसमें पैरा मेडिकल, स्वीपर, एल0टी0, एल0ए0 की संख्या अथवा तैनाती के विषय में शासन/निदेशालय स्तर से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, समिति इसके लिये पूर्णतः सक्षम होगी।

5. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

5. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वित्त, न्याय, पंचायती राज, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
8. विशेष सचिव, गृह गोपन अनुभाग–1।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
11. समस्त नगर आयुक्त, उ0प्र0।
12. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।
13. समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

18/08/2020

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार शर्मा)
विशेष सचिव।

श्रेणी–ए एवं श्रेणी–बी के जनपदों की सूची।			
क्रम सं0	ग्रुप–ए	क्रम सं0	ग्रुप–बी
1	प्रयागराज	1	फिरोजाबाद
2	मुरादाबाद	2	मिर्जापुर
3	गाजियाबाद	3	अयोध्या
4	आजमगढ़	4	बस्ती
5	लखनऊ	5	अम्बेडकर नगर
6	कानपुर नगर	6	रामपुर
7	जौनपुर	7	मऊ
8	सीतापुर	8	बलरामपुर
9	बरेली	9	पीलीभीत
10	गोरखपुर	10	झांसी
11	अगारा	11	चंदौली
12	मुजफ्फरनगर	12	फर्रूखाबाद
13	हरदोई	13	मैनपुरी
14	लखीमपुर–खीरी	14	सोनभद्र
15	सुलतानपुर	15	अमरोहा
16	बिजनौर	16	बांदा
17	बदायूं	17	कानपुर देहात
18	वाराणसी	18	एटा
19	अलीगढ़	19	सन्तकबीर नगर
20	गाजीपुर	20	जालौन
21	कुशीनगर	21	कन्नौज
22	बुलन्दशहर	22	गौतमबुद्ध नगर
23	बहराइच	23	कौशाम्बी
24	सहारनपुर	24	इटावा
25	मेरठ	25	भदोही
26	गोडा	26	हसथरस
27	रायबरेली	27	कासगंज
28	बाराबंकी	28	औरैया
29	बलिया	29	बागपत
30	प्रतापगढ़	30	ललितपुर
31	उन्नाव	31	श्रावस्ती
32	देवरिया	32	हमीरपुर
33	शाहजहांपुर	33	चित्रकूट
34	महराजगंज	34	महोबा
35	फतेहपुर	35	अमेठी
36	सिद्धार्थ नगर	36	शामली
37	मथुरा	37	सम्भल
		38	हापुड

नोट : 1– ग्रुप–ए (प्रत्येक जनपद रू0 2.50 करोड़)
धनराशि रू0 92.5 करोड़
2 ग्रुप–बी (प्रत्येक जनपद रू0 1.50 करोड़)
धनराशि रू0 57.00 करोड़
कुल धनराशि रू0 149.50 करोड़ ।